राज्य शाहरी आजीविका मिशल, (पुराठ्यू०पुता०पुमा०) उ०प्र० (राज्य नगरीय विकास अभिकरण,— सूडा उ.प्र.)

प्रथम तल,पर्यटन भवन,विपिन खण्ड,गोमती नगर, लखनऊ 226010 दूरभाष एवं फैक्सः 0522–2307798 e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org पत्रांक **१८५** / 241 / NULM / तीन / 2001–VOL-II दिनांक २ १ - 1 र

सेवा में,

 समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०।

 समस्त परियोजना निदेशक / सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर जिला नगरीय विकास अभिकरण / शहर मिशन प्रबन्धन इकाई, उ०प्र०।

विषय :दीनदयाल अन्त्योदय योजना— राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत समस्त घटकों में लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों की आधार कार्ड से सम्बद्धता संबंध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या— K-12011(13)/4/2017-UPA I Section-Part(1) Computer No: 3145780 दिनांक 29.12.2017 जोकि DAY-NULM के अन्तर्गत समस्त घटकों में लाभार्थियों को आधार कार्ड से सम्बद्ध किये जाने के संबंध में है (जिसकी छायाप्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है), का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

भारत सरकार के उक्त पत्र द्वारा निम्नवत निर्देशित किया गया है:- "Now the Government has extended the stipulated date in all Notifications under the Section 7 of Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, up to 31st March, 2018."

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि पूर्व में आधार के संबंध में ''भारत का राजपत्र'' दिनांक 26.05.2017 इस कार्यालय के पत्र संख्या— 393/241/NULM/तीन/2001—VOL-II दिनांक 27.06.2017 एवं 779/241/NULM/तीन/2001—VOL-II दिनांक 27.11.2017 के माध्यम से समस्त जनपदों को प्रेषित किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 29.12.2017 में दिये गये निर्देशों का वरीयता के आधार पर अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोपरि

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय) मिशन निदेशक

भवदीय

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निदेशक, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (यूपीए डिवीजन-I) भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।

2 समस्त परियोजना अधिकारी / सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ उपरोक्त का समय से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

सहायक वेबमास्टर, सूडा उ०प्र० को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय) मिशन निदेशक

K-12011(13)/4/2017-UPA I SECTION-Part (1) Computer No: 3145780

Government of India

Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation (UPA Division)

Room No. 215-B, Nirman Bhavan, New Delhi, dated the 25 December, 2017

To

Mission Director (DAY-NULM) All States/UTs (Except Assam, Meghalaya and J&K)

Subject:

Extension of stipulated date for Aadhaar Enrolement as mentioned in various Notification issued by Central Ministries under Section 7 of Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 upto 31st March, 2018.

I am directed to refer to this Ministry's letter of even number dated 2nd June, 2017 • vide which Notification No. S.O. 1695(E) dated 26th May, 2017 in respect of DAY-NULM under Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 was forwarded and letter of even no dated 31st October, 2017 (copy enclosed) vide which the stipulated date was extended up to 31st December, 2017.

Now the Government has extended the stipulated date in all Notification under the 2. Section 7 of Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, up to 31st March, 2018. A copy of the MeitY's letter dated 7th December, 2017 in this regard is enclosed herewith for information and compliance.

(Encl: A/a)

Yours faithfully

(Archana Mittal) Director (UPA-I)

Tele # 23062127

Copy for information to Principal Secretary/Secretary (UD/Municipal Administration) of all the States excluding except Assam, Meghalaya and J&K)